संख्या-10-1710/86-2014-278/2011

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 जून, 2014

विषय- प्रदेश में बालू, मौरम, बजरी एंव बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई-टेण्रिंग प्रणाली के साथ-साथ निविदा प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक वर्तमान में अध्याय-4 के अधीन ई-टेण्डरिंग प्रणाली के साथ-साथ निविदा प्रणाली के माध्यम से नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में है, के खनन परिहार निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अधीन स्वीकृत किया जायें:-

(1) रिक्त क्षेत्रों का गठन किया जाना।
(2) वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना।
(3) क्षेत्र का मूल्यांकन (आरक्षित मूल्य) नियम-23(4) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
(4) सर्वोच्च एंव संतोषजनक राजस्व की निविदा प्राप्त होने पर इस औपबन्धिक के रूप में चुना गया निविदादाता पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा और तदोपरान्त खनन संक्रियायें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के शर्तो के अधीन करने हेतु अधिकृत होगा।
(5) निविदादाता को खनन संक्रिया करने के पूर्व भूमि पुर्नद्वार हेतु वित्तीय अनुशासन की धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
(6) निविदा हेतु जिलाधिकारी की सहायता के लिए निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया जाएगा:-

क.	जिलाधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी	अध्यक्ष
ख.	प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
ग.	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
घ.	क्षेत्रीय भू-वैज्ञानिक।	पदेन सदस्य
ग.	जनपद में तैनात खान अधिकारी अथवा खान निरीक्षक	पदेन सदस्य

2- वांछित राजस्व की निविदा प्राप्त न होने, गम्भीर शिकायतों व विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण को भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय को संदर्भित किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करके शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर जिलाधिकारी को प्रकरण के निस्तारण हेतु संसूचित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया पूर्व के अनुसार ही रहेगी।
5. खनन क्षेत्रों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या-1710(1)/86-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्लायुक्त उ0प्र0 ।
2- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वन विभाग उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ खनन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
8- सूचना निदेशक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह विभिन्न प्रचार माध्यमों से शासन के निर्णय का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9- अनुभागीय गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in